


2017/00528

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री कपिल जिन्दल पुत्र कृष्णलाल जिन्दल निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बनाम 1. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत 2. नायब तहसीलदार (राजस्व) बज्जू 3. श्रीमती सीमा पत्नी महेन्द्रसिंह जाट निवासी अरझावता तहसील व जिला झूँझनू लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 13/17</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>27.11.17</p>	<p>: निर्णय :</p> <p>1. उभयपक्ष के प्रतिनिधिगण उपस्थित। उभयपक्ष की पूर्व पेशी दिनांक 23.11.17 को बहस सुनी गई।</p> <p>2. अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गान्ती अधिनियम, 2011 की धारा 6 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में वर्णित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 2 मुख्यालय बज्जू हाल राजस्व तहसील बज्जू के चक 10 जी.डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 219/54 में 25 बीघा भूमि मोहर बंद बोली में दिनांक 26.5.2008 को आवंटित हुई थी, जो बाद में दिनांक 17.7.08 को अप्रार्थी सीमा पत्नी महेन्द्रसिंह को आवंटित करदी गई। प्रार्थी द्वारा पश्चात्वर्ती आवंटन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जरिये निगरानी संख्या 2902/13 से चुनोती दी गई। पश्चात्वर्ती आवंटन को माननीय राजस्व मण्डल ने 21.4.17 को निरस्त कर दिया। प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने प्रथम आवंटी होने के नाते रिकॉर्ड में अंकन करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु अंकन नहीं किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 21.4.17 की पालना में प्रश्नगत भूमि आराजीराज का इंतकाल तो दर्ज कर दिया गया, किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त भूमि के हुए आवंटन का रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया। अधिनियम की धारा 3 के तहत 30 दिवस में रिकॉर्ड में अंकन के प्रावधान है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर रिकॉर्ड में अंकन के आदेश फरमावें।</p> <p>3. रेस्पोंडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमती सीमा की और से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्टा को उक्त भूमि दिनांक 17.7.08 को आवंटित हुई है, जिसका रिकॉर्ड में अंकन हो गया है। समस्त राशि जमा करवादी गई है, तथा खातेदारी भी जारी करदी गई है। उक्त भूमि को जरिये बैयनामा श्री ईशराराम पुत्र रूपाराम जाट को बेचान कर दी, जिसका अंकन भी रिकॉर्ड में होचुका है। मौके पर खरीददार काबिज है, जिसे माननीय राजस्व मण्डल में पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार बनाये बिना ही राजस्व मण्डल से निर्णय पारित करवा लिया गया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध रिव्यू प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</p> <p>4. उप-तहसीलदार (भू.अ.), बज्जू ने अपने जवाब पत्रांक 10099 दिनांक 13.11.17 में अंकित किया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना की जा चुकी है, जिसमें पश्चातवर्ती आवंटन निरस्त करने के कारण भूमि आराजीराज दर्ज रिकॉर्ड हो गई है। न्यायालय के निर्णय में प्रथम अलॉटी के नाम भूमि दर्ज करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं, बल्कि द्वितीय आवंटन निरस्त किया गया है। प्रथम आवंटी को भूमि का कब्जा लेने के लिये निर्धारित विभागीय प्रक्रिया व नियमों के अनुसार स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, स्वयं अलॉटी को मौके पर कब्जा दिये जाने के पश्चात् रिकॉर्ड में अमल दरामद (इंतकाल दर्ज) किया जावेगा। इसके लिये आवंटी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये सक्षम अधिकारी से प्रवेश की अनुमति प्राप्त करनी होगी। समुचित सुसंगत दस्तावेज के साथ प्रार्थी के स्वयं उपस्थित आने पर ही कब्जा देही व इंतकाल दर्ज किये जाने की कार्यवाही संभव हो सकेगी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</p>	

24
जिला कलक्टर, बीकानेर

2017/00528

हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
श्री कपिल जिन्दल पुत्र कृष्णलाल जिन्दल निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़
बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत 2. नायब तहसीलदार (राजस्व) बज्जू 3. श्रीमती
सीमा पत्नी महेन्द्रसिंह जाट निवासी अरड़ावता तहसील व जिला झुंझनू
लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत प्रस्तुत
अपील संख्या 13/17



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

लगातार
27.11.17

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21.4.17 को निर्णित निगरानी का भी अवलोकन किया। निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती आवंटन विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा विधिक प्रक्रिया की अट्टलना में पारित होने के कारण अवैध तथा शून्य माना गया है। निर्णय में प्रथम आवंटी के नाम प्रश्नगत भूमि रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश नहीं दिया गया है। प्रथमतः यह प्रकरण राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत अन्तर्विष्ट नहीं होता है। द्वितीय रिकॉर्ड में अमल-दरामद के लिये निर्धारित विभागीय प्रक्रिया है। नियमानुसार आवंटी को आवंटित भूमि के अमलदारमद के लिये संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष व्यक्तिःश उपस्थित होकर सुसंगत दस्तावेजात के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होता है। स्वयं आवंटी को मौके पर कब्जा दिये जाने के पश्चात् ही रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही की जाती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

(अनिल गुप्ता)

अपील अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर